अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान दीवानी वाद संख्या– 2/1991

दामु हो।

वनाम

मानसिंह हो एवं अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारिख

आदेश

यह दीवानी वाद दिनांक– 25.02.1991 को दामु हो, पिता– केरा हो, ग्राम– कुरितया, थाना– मुफ्फसिल चाईबासा, जिला– पश्चिमी सिंहभूम द्वारा वाद पत्र के Schedule "B" में वर्णित भूमि के लिए प्रतिवादी 1. मानसिंह हो, 2. बोंय हो, दोनों के पिता– दामु हो, ग्राम– कुरितया, थाना– मुफ्फसिल चाईबासा, जिला– पश्चिमी सिंहभूम के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद में लम्बे समय से वादी प्रतिवादी तथा उनके अधिवक्ता द्वारा पैरवी नहीं किये जाने के कारण दोनों पक्षों को नोटिस भेजा गया, सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 12.03.2022 को प्रतिवादी के अधिवक्ता उपस्थित हुए लेकिन पुकार पर वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। इससे प्रतीत होता है की वादी को वादी भूमि के समर्थन में कोई अभिरूचि नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज (Dismiss for default) करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

22.03.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

22.03.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2022.03.26 17:28:05 +05:30
Location: 10.93.66.34

Scanned with CamScanner